जय भीम ! लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की जय! जय धनगर, जय मल्हार !

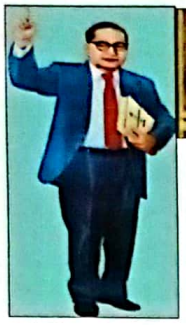

धनगर समाज उत्थान समिति (पंजी0)

पंजी0 स0 AGR/04716/2024-2025

कार्यालयः 793, सेक्टर – 4, आवास विकास कॉलोनी, बोदला, आगरा 282007 - उत्तर प्रदेश

संतोष धनगर, प्रदेश अध्यक्ष

निवास स्थानः फ्लैट न – 1, प्लाट न A 60, लेन 4 मधु विहार इन्द्र प्रस्थ विस्तार नई दिल्ली 110092

फोन :9868004027, **ई मेल** : dhangar1sk@gmail.com

पत्र संख्या:- 2024/ CMUP/ALL 645/2023 दिनांक: 23/ 12/ 2024

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

विषयः-धनगर जाति के बारे में राष्ट्रपति आदेश 1950 का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने में असमंजस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका 645/2019 में जारी तथाकथित स्थगन आदेश पर स्पष्टीकरण के संबंध में अनुरोध।

संदर्भः- राष्ट्रपति आदेश 1950 के अनुसार जारी काका कालेलकर रिपोर्ट सन 1955

माननीय मुख्यमंत्री जी,

जैसा कि प्रायः देखा गया है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनहित याचिका 645/2019 में जारी तथाकथित स्थगन आदेश के आधार पर धनगर जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी की जाती है जबकि तथाकथित स्थगन आदेश में राष्ट्रपति आदेश 1950 पर कोई स्थगन नहीं है और राष्ट्रपति आदेश 1950 के अनुसार जारी काका कालेलकर रिपोर्ट सन 1955 में हिंदी अंग्रेजी में धनगर जाति को ही अनुसूचित जाति में अधिसूचित दर्शाया गया है अतः धनगर जाति के लिए प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई स्थगन नहीं है।

करीब 10 साल से जाति प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जा रहे हैं जहां हिंदी अंग्रेजी में केवल धनगर जाति ही अनुसूचित जाति में उपलब्ध है फिर भी कभी किसी धंगड व्यक्ति या संगठन ने किसी कार्यालय या न्यायालय में इस संबंध कोई प्रत्यावेदन नहीं दिया है इसीलिए इस तथाकथित स्थगन के आधार पर धनगर जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना राष्ट्रपति महोदय आदेश 1950 का सरेआम उल्लघंन है जो बहुत ही संगीन अपराध है अतः इस मामले में प्रशासन को स्पष्टीकरण जारी किया जाना अत्यावश्यक है।

कृपया इस संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का संज्ञान लेने का कष्ट करें:-

1) जनहित याचिका 645/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी तथाकथित स्थगन आदेश(अनुलगनक "A") में ही उल्लेख किया है कि

"benefit strictly extended to the categories mentioned in the presidential notification applicable to scheduled castes scheduled tribes other backward class for state of UP".

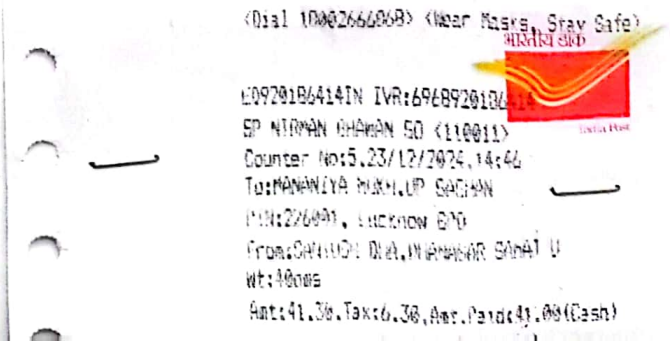

राष्ट्रपति आदेश 1950(Presidential Notification) के अनुसार काका कालेलकर की रिपोर्ट सन 1955(अनुलगनक "B") में उल्लिखित हिंदी एवं अंग्रेजी में दिए गए के जातियों के नाम में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित जाति"DHANGAR" को हिंदी में "धनगर" ही लिखा गया है अतः धनगर जाति ही सन 1950 से अनुसूचित जाति में अधिसूचित है इसलिए धनगर जाति प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई स्थगन नहीं है। अतः प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थगन मानकर धनगर जाति को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना राष्ट्रपति आदेश 1950(Presidential Notification) का उल्लंघन होने के कारण घृणित आपराधिक कृत्य है।

2) प्रदेश सरकार और काका कालेलकर की रिपोर्ट दोनों में दिए गए प्रस्तावों में समानता के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 को जारी किया गया है।काका कालेलकर की रिपोर्ट तथा दिनांक 29 अगस्त 1977 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारी और केंद्र सरकार को जारी किए गए पत्र के माध्यम से भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश शासन ने भी धनगर जाति को ही अनुसूचित जाति में प्रस्तावित किया था।अतः अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1956 में भी संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित जाति "DHANGAR" "धनगर" ही है।

3) संविधान अनुच्छेद 341(1) के अनुसार महामहिम राज्यपाल के द्वारा प्रस्तावित किए जाने के आधार पर ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय किसी जाति को अनुसूचित जाति में अधिसूचित करते हैं।

4) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के लिए संसद के पटल पर रखे गए बिल संख्या 59/1976 का हिंदी संस्करण (https://sansad.in/getFile/BillsTexts/LSBillTexts/Hindi/Asintroduced/59_1976_LS_HIN.pdf?source=legislation) में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित जाति"DHANGAR" को हिंदी में "धनगर" ही लिखा गया है। तथा इस विधेयक में केवल क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाने मात्र का ही प्रावधान था न कि किसी जाति को बदलने का प्रावधान था।

5) विधि एवं न्याय मंत्रालय ने RTI application No LEGIS/R/E/24/00385 में दिनांक 13/11/2024 (अनुलगनक "C") को सूचना प्रदान की है कि:-

"संसद के किसी भी सदन में लंबित विधेयक के लिए कोई भी शुद्धि पत्र उस सदन के संबंधित सचिवालय द्वारा ही तैयार और जारी किया जाता है। विधायी विभाग किसी भी विधेयक से संबंधित कोई शुद्धि पत्र राज्य सभा/लोकसभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराता है।"

अतः विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा बिल संख्या 59/1976 हेतु दिनांक 24 मई 1976 को जारी तथाकथित शुद्धि पत्र - 2 एवं उसके आधार पर जारी बिल संख्या 59C/1976 का हिंदी संस्करण (जिनको लोक सभा सचिवालय द्वारा सितम्बर 2024 में ऑनलाइन पोर्टल पर डाला गया है) पूरी तरह से विधि विरुद्ध है, संविधान अनुच्छेद 341 (1) का उल्लंघन है। जिसके आधार पर कथित रूप से जारी 29 नवंबर 1979 को प्रकाशित करवाया गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के गजट के हिंदी अनुवाद में DHANGAR की सही हिंदी वर्तनी धनगर को बदलकर धंगड किया गया है।

6) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर धांगर जाति का आदेश वापस लेकर धंगड जाति का आदेश जारी करने पर ऑल इण्डिया धनगर समाज महासंघ ने माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका संख्या 40462/2009 दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14/3/2012 को अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार को दिए आदेश के अनुसार Consequential Action के साथ DHANGAR को स्पष्ट करना था,जिसके आधार पर माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय दिनांक 03/12/2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 12436/2007 में जारी आदेश दिनांक 03/9/2013 में स्वीकार किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही माननीय आयोग ने माननीय न्यायालय सहित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भी अपने पत्र दिनांक 16/1/2013 द्वारा Consequential Action

CamScanner

के लिए अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र "धनगर जाति" को ही जारी किया जाएगा DHANGAD (धंगर/धनगड़/धंगड़) को जारी नहीं किया जाएगा।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी धनगर-धंगड का असमंजस दूर कर दिया गया है।

7) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 को दिनांक 01.10.1979 को विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति से महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी अपने राजपत्र में मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए दी गई सूची में धनगर जाति को ही अनुसूचित जाति में दर्शाया गया है।(अनुलग्नक "C")

माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बिंदुओं के आलोक में धनगर जाति के बारे में राष्ट्रपति आदेश 1950 का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने में असमंजस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका 645/2019 में जारी तथाकथित स्थगन आदेश पर स्पष्टीकरण जारी करवाने का कष्ट करें ताकि धनगर जाति प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी हो सकें तथा कृत कार्यवाही से धनगर समाज उत्थान समिति (पंजी.) को ईमेल dsusamitiup@gmail.com के माध्यम से सूचित करवाने का कष्ट करें।

(संतोष धनगर)
प्रदेश अध्यक्ष

CamScanner

Annex 'A'

Court No. - 34

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 645 of 2019
Petitioner :- Ram Prakash
Respondent :- Union Of India And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Rakesh Kumar Gupta
Counsel for Respondent :- A.S.G.I.,C.S.C.

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.

1. It is said that by means of impugned government orders dated 24.10.2003, 16.12.2016 and 26.03.2018, i.e. Annexures-2, 3 and 4 to writ petition respectively, the reserved caste mentioned in Presidential Notification is sought to be explained, it is not within purview of State Government or any Government, since, whatever category is described in the Presidential Notification, it has to be read as it is and nothing can be added or explained. Reliance in this regard has been placed upon law laid down by in **Bhaiya Lal v. Harikishan Singh, AIR 1965 SC 1557** which has been followed in **State of Maharashtra Vs. Milind and others, (2001) 1 Supreme Court Cases 4.**

2. In our view, matter requires consideration.

3. Respondents 1 and 2 are represented by Sri H. N. Mishra, Advocate. Learned Standing Counsel is appearing on behalf of respondent 3, who prays for and is allowed two weeks' time to file counter affidavit.

4. List thereafter.

5. Until further orders, aforesaid impugned government orders shall remain stayed and benefit of reservation shall be strictly extended to the categories mentioned in Presidential Notification applicable to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class in State of U. P.

Order Date :- 19.4.2019/Manish Himwan

CamScanner

GOVERNMENT OF INDIA

REPORT

OF THE

Backward Classes Commission

Vol. II
(LISTS)

PRINTED IN INDIA, BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI
1955

Price : Rs. 3-6-0 or 5sh. 6d.

CamScanner

8/14

UTTAR PRADESH

List of Scheduled Castes published under the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, together with the revision suggested by the Backward Classes Commission

Sl. No.	Existing List	Hindi Equivalent	Estimated Population, 1931	Communities recommended for Exclusion	Communities recommended for Inclusion	Hindi Equivalent	Estimated Population, 1931
1	2	3	4	5	6	7	8
	Throughout the State:						
1	Agariya	अगरिया	6,892	Bhokta	1 Ahcriya	आहेरिया	..
2	Badi	बादी	..	Gond (recommended for inclusion among Scheduled Tribes throughout the State).	2 Balai	बलाई	..
3	Badhik	बाधिक	1,593		3 Bayar	बयार	..
4	Bahcliya	बहेलिया	13,552		4 Khatik	खटीक	..
5	Baiga	बैगा	..		5 Kolta	कोल्टा	..
6	Baiswar	बैसवार	2,71,169		6 Kori	कोरी	..
7	Bajaniya	बजानिया	..		7 Mochi	मोची	..
8	Bajgi	बाजगी	..		8 Musahar	मुसाहर	..
9	Balahar	बनहार	..		9 Tarmali (may be put with Pasi).	..	..
10	Balmiki	बालमिकी	..				
11	Bangali	बंगाली	..				

193

CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Banmanus . .	बनमानुष	..				
13	Bansphor . .	बांसफोड़	..				
14	Barwar . . .	बरवार	3,028				
15	Basor . . .	बसोड़	..				
16	Bawariya . .	बावरिया	..				
17	Beldar . . .	बेलदार	31,504				
18	Beriya . . .	बेरिया	..				
19	Bhantu . . .	भांटू	..				
20	Bhoksa . . .	भोक्सा	281				
21	Bhuiya . . .	भुइयां	658				
22	Bhuiyar . . .	भुईयार	6				
23	Boria . . .	बोरिया	..				
24	Chamar . . .	चमार	73,33,486				
25	Chero . . .	चेरो	5,369				
26	Dabgar . . .	दबगर	763				
27	Dhangar . .	धनगर	..				
28	Dhanuk . . .	धानुक	..				
29	Dharkar . . .	धरकार	..				

Annex C'

A.1 A A 15/14

Select Language English

RTI Online

Submit Request Submit First Appeal View Status View History Login User Manual Contact Us FAQ

ne RTI Status Form

ields marked with * are Mandatory.

Enter Registration Number	LEGIS/R/E/24/00385
Name	Santosh Dhangar
Received Date	23/10/2024
Public Authority	Legislative Department
Status	REQUEST DISPOSED OF
Date of action	13/11/2024
Reply :- any corrigenda for the Bill pending in any House of Parliament are prepared and issued by the concerned Secretariat of that House itself. Legislative Department does not provide any corrigenda related to any Bill as referred above to the Rajya Sabha /Lok Sabha Secretariat. In view of above, the matter does not pertain to this Department. However, the same may pertain to the concerned House Secretariat where the Bill was introduced.	
CPIO Details :-	Prakash Chand Meena Phone: 011-23388007 prakash[dot]meena[at]nic[dot]in
First Appellate Authority Details :-	Udaya Kumara Phone: 011-23384404 aa-rti-legis[at]nic[dot]in
Nodal Officer Details :-	
Telephone Number	011-23388007
Email Id	prakash[dot]meena[at]nic[dot]in

Print RTI Application Print Status Go Back

Copyright © 2023. All rights reserved. Designed, Developed and Hosted by National Informatics Centre, New Delhi on the instructions of DOP&T

CamScanner

CamScanner